

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::कार्यालय आदेश::

का0आ0-15/बि0स0से-16-09/2009 सा0प्र0...../, पटना-15, दिनांक.....

सिविल अपील संख्या 16376/2017, चन्द्रशेखर प्रसाद राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 10.10.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ता सर्वश्री रामानंद ठाकुर, प्रेम कुमार साह, सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा एवं श्याम सुंदर प्रसाद, जिन्हें विभागीय आदेश संख्या 1158 दिनांक 22.11.1996 के द्वारा सहायक के पद से पूर्व धारित पद पर प्रत्यावर्तित किया गया था, को इन चारों याचिकाकर्ताओं के परिप्रेक्ष्य में रद्द करते हुए वर्ष 1989 में नियुक्त 308 कर्मियों, जो सहायक के पद पर नियुक्त हुये थे, के सदृश्य मानते हुए उनमें सबसे कनीय श्री लुयिस तिर्की के वरीयता क्रमांक 3069 के नीचे एवं श्री चेम्बराई डोदराय, वरीयता क्रमांक 3070 के ऊपर उक्त चारों का क्रमशः 3069 'क', 3069 'ख', 3069 'ग' एवं 3069 'घ' पर वरीयता निर्धारित किया जाता है।

2) यह आदेश दिनांक 01.12.2017 के प्रभाव से लागू होगा। वरीयता निर्धारण का लाभ चारों याचिकाकर्ताओं को पूर्व की तिथि से देय नहीं होगा बल्कि दिनांक 01.12.2017 के प्रभाव से वरीयता आदि का लाभ अनुमान्य होगा।

3) उक्त में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

का0आ0-15/बि0स0से-16-09/2009 सा0प्र0...../, पटना-15, दिनांक.....


प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव एवं अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-15)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15, 16 एवं 17 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रामानंद ठाकुर, सहायक, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना, श्री प्रेम कुमार साह, सहायक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना, श्री सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा, सहायक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना, एवं श्री श्याम सुंदर प्रसाद, सहायक, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

का0आ0-15/बि0स0से-16-09/2009 सा0प्र0.....66...../, पटना-15, दिनांक.....19.2.18.....

प्रतिलिपि:- आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।